



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 927]
No. 927]नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2005/भाद्र 11, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2005/BHADRA 11, 1927

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2005

का.आ. 1229(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ इक्कासीवां संशोधन) नियम, 2005 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—
 - (i) "वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ख. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग" उपशीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 31 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
"31क. विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) से संबंधित मामले जिनमें अन्य संबंधित मंत्रालयों अथवा विभागों के साथ समन्वय भी सम्मिलित है।";
 - (ii) "संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ग. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग" उप-शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 12 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—
"13. इस विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिक संबंधी सभी मामले";
 - (iii) "गृह मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. आंतरिक सुरक्षा विभाग" उप-शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 56 में, उप-प्रविष्टि (ण) के स्थान पर निम्नलिखित उप प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
" (ण) नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57), उसकी धारा 7ख(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग को छोड़कर।";
 - (iv) "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,—
 - (क) "क. प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग" उप-शीर्षक के नीचे प्रविष्टि 1 का लोप किया जाएगा;
 - (ख) "ख. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग" उप-शीर्षक के नीचे प्रविष्टि 8 का लोप किया जाएगा;

- (ग) "ग. महिला और बाल विकास विभाग" उप-शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
- "4. विद्यालय प्रवेश से पूर्व जिसके अंतर्गत प्राथमिक-पूर्व शिक्षा भी है, के बच्चों की देखभाल।";
- (व) "विधि और न्याय मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ख. विधायी विभाग" उप-शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
- "1. विधेयकों का प्रारूपण जिसके अंतर्गत प्रवर समितियों में प्रारूपकारों का कार्य भी है, अध्यादेशों और विनियमों का प्रारूपण और प्रख्यापन; जब भी अपेक्षित हो, राज्य अधिनियमों का राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमन; कानूनी नियमों और आदेशों की संवीक्षा [राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क), धारा 3क और धारा 3घ के अधीन अधिसूचनाओं को छोड़कर]।";
- (vi) "प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 18 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
- "19. नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7ख(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग।";
- (vii) "पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ख. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग" उप-शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
- "3क. विधायी विभाग द्वारा संवीक्षा और विधीक्षा कराए बिना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क), धारा 3क और धारा 3घ के अधीन अधिसूचनाएं जारी करना।";
- (viii) "इस्पात मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
- "1. विद्युत आर्क भट्टी यूनिटों (ई.आ.यू.), प्रेरण भट्टी यूनिटों (इ.यू.), पुनर्वेल्लकों जैसी प्रसंस्करण सुविधाओं, सपाट उत्पादों (गर्म/टंडी बेल्लन यूनिटों) विलेपक यूनिटों, तार कर्षण यूनिटों और पोत भंजन सहित इस्पात स्क्रैप प्रसंस्करण जैसी लोहा और इस्पात उत्पादन प्रसुविधाओं को स्थापित करने की योजना, विकास और सरलीकरण।"

आ.प.जै. अब्दुल कलाम
राष्ट्रपति।

[फ्त. सं. 1/22/1/2005-कैब.]

के. एल. शर्मा, उप सचिव (मंत्रिमंडल)

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2005

S.O. 1229(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and eighty first Amendment) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(i) under the heading "Ministry of Commerce and Industry (Vanijya Aur Udyog Mantralaya)", under the sub-heading "B. Department of Industrial Policy and Promotion (Audyogik Niti Aur Samvardhan Vibhag)", after entry 31, the following entry shall be inserted, namely:—

"31A. Matters concerning World Intellectual Property Organisation (WIPO) including co-ordination with other concerned Ministries or Departments.";

- (ii) under the heading "Ministry of Communications and Information Technology (Sanchar Aur Sookhana Praudyogiki Mantralaya)", under the sub-heading "C. Department of Information Technology (Sookhana Praudyogiki Vibhag)", after entry 12, the following entry shall be added, namely :—
- "13. All matters relating to personnel under the control of the Department.";
- (iii) under the heading "Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya)", under the sub-heading "A. Department of Internal Security (Antrik Suraksha Vibhag)", in entry 56, for sub-entry (o), the following sub-entry shall be substituted, namely :—
- "(o) The Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), except the exercise of powers conferred by Section 7B(1) thereof;"
- (iv) under the heading "Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya)":—
- (a) under the sub-heading "A. Department of Elementary Education and Literacy (Prarambhik Shiksha Aur Saksharta Vibhag)", entry 1 shall be omitted;
- (b) under the sub-heading "B. Department of Secondary and Higher Education (Madhyamik Aur Uchcharat Shiksha Vibhag)", entry 8 shall be omitted;
- (c) under the sub-heading "C. Department of Women and Child Development (Mahila Aur Bal Vikas Vibhag)", for entry 4, the following entry shall be substituted, namely :—
- "4. Care of pre-school children including pre-primary education.";
- (v) under the heading "Ministry of Law and Justice (Vidhi Aur Nyaya Mantralaya)", under the sub-heading "B. Legislative Department (Vidhayee Vibhag)", for entry 1, the following entry shall be substituted, namely :—
- "1. The drafting of Bills, including the business of the Draftsmen in Select Committees, drafting and promulgation of Ordinances and Regulations; enactment of State Acts as President's Acts, whenever required; scrutiny of Statutory Rules and Orders (except notifications under clause (a) of Section 3, Section 3A and Section 3D, of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956).";
- (vi) under the heading "Ministry of Overseas Indian Affairs (Pravasi Bhartiya Karya Mantralaya)", after entry 18, the following entry shall be inserted, namely :—
- "19. Exercise of powers conferred by the Section 7B(1) of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955).";
- (vii) under the heading "Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Pot Parivahan, Sadak Parivahan Aur Raj Marg Mantralaya)", under the sub-heading "B. Department of Road Transport and Highways (Sadak Parivahan Aur Raj Marg Vibhag)", after entry 3, the following entry shall be inserted, namely :—
- "3. Issuance of notifications under clause (a) of Section 3, and Section 3A and Section 3D of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) without being scrutinised and vetted by the Legislative Department.";
- (viii) under the heading "Ministry of Steel (Ispat Mantralaya)", for entry 1, the following entry shall be substituted, namely :—
- "1. Planning, development and facilitation of setting up of iron and steel production facilities including Electric Arc Furnace (EAF) units, Induction Furnace (IF) units, processing facilities like re-rollers, flat products (hot/cold rolling units), coating units, wire drawing units and steel scrap processing including ship breaking.".

A. P. J. ABDUL KALAM
PRESIDENT.

[F. No. 1/22/1/2005-Cab.]

K. L. SHARMA, Dy. Secy. (Cabinet)